न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2014–15 निगरानी R 4324-III/14

वेदप्रकाश जैन आत्मज रतनलाल जैन

श्रीमती मोनिका पत्नी सूरजप्रकाश जैन

निवासीगण ग्राम–अमोलपाठा, तहसील– करैरा

जिला– शिवपुरी ——— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ——— अनावेदक

तहसीलदार करैरा के प्रकरण कमांक 133/2000–2001 अ–19 में अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला– शिवपुरी द्वारा दिनांक 7–8–2014 को एकपक्षीय रूप से दी गई पुनरावलोकन की अनुमति के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू– राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है:–

1. यह कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय का विवादित आदेश अवैध तथा विचाराधिकार रहित होने से निरस्त किये जाने योग्य है.
2. यह कि, आवेदक–1 ने पंजीकृत विकय पत्र द्वारा अभिलिखित भूमिस्वामी से भूमि सर्वे कमांक 2254/1 क्षेत्रफल 0.60 हेक्टेयर भूमि कय की थी जिसमें से 0.18 हेक्टैयर भूमि आवेदक –1 ने आवेदक–2 को पंजीकृत विकय पत्र द्वारा विकय कर कब्जा सौप दिया था. आवेदकगण का राजस्व अभिलेखों में विकयपत्रों के आधार पर नामान्तरण किया जा चुका है.
3. यह कि, तहसीलदार करैरा ने उनके समक्ष की गई शिकायत के आधार पर प्रकरण इस आधार पर पंजीबद्ध किया कि रिट याचिका कमांक 140/2014 में माननीय न्यायालय ने शिकायत का निराकरण करने के निर्देश दिये है.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 4324–दो/2014 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–11–2016	आवेदक अभिभाषक एवं अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 133/अ–19/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 7–8–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा आवेदन अंन्तर्गत धारा 32 का आवेदन पेश कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशदिनांक 07–8–2014 को निरस्त कर अपील प्रकरण कमांक 16/2015–16 में अनुविभागीय अधिकारी करैरा के आदेश का पालन सुनिश्चित किय जाने के निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया। आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर दोनों अभिभाषकों के तर्क सुने गये। 4/ आवेदक अभिभाषक ने म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के आवेदन के साथ अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 16/2015–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 30–12–2015 के आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी करैरा के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 7–8–2014 के पश्चात उक्त आदेश की निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी के विचाराधीन आदेश दिनांक 7–8–2014 के पश्चात तहसीलदार करैरा ने अग्रिम कार्यवाही करते हुये प्रकरण कमांक 133/2000–01/अ–19	

में पारित आदेश दिनांक 28–8–2014 के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसका अनुविभागीय अधिकारी करैरा ने प्रकरण कमांक 16/2015–16/अपील आदेश दिनांक 30–12–2015 के द्वारा अंतिम निराकरण कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश को निगरानी में चुनौती देने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय में अग्रिम कोई कार्यवाही अथवा आदेश हो जाता है तो उसके पूर्व के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत वाद औचित्यहीन हो जाता है। स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 7–8–2014 के पश्चात तहसीलदार द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुये पारित अंतिम आदेश के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ने भी अंतिम आदेश पारित कर दिये है जिससे अब इस निगरानी के प्रचलन का कोई औचित्य शेष नहीं रह रहा है। अतः यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस. एस. अली)
सदस्य